कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक . एक सागर (म.प्र.)

☏ : 07582-285247 (सिविल कोर्ट के पास) सागर (म.प्र.) पिन कोड - 470001
E-mail - eewrdno1sgr@gmail.com,

पत्र क्र. 1720 / कार्य / 2025–26 सागर दिनाँक 28 / 05 / 2025

प्रति,

वन मंडल अधिकारी,
दक्षिण वन मंडल (सा.)
सागर जिला– सागर (म.प्र.)

विषयः– जिला सागर के अंतर्गत पिपरिया जसराज जलाशय योजना के निर्माण हेतु 10.62 हेक्टे. की स्टेज–2 वन स्वीकृति हेतु पुनरीक्षित पालन प्रतिवेदन प्रेषित करने बावत्।

संदर्भः–
1. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जल वायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्र 6–एमपीसी. 041 / 2020–वीएचओ दिनांक 31.01.2022 **(ऑनलाइन प्रकरण क्र. FP/MP/IRRIG/35140/2018)**
2. इस कार्यालय का पत्र क्र. 3559 / कार्य / 2022–23 सागर दिनांक 20.08.2022 (पिपरिया जसराज जलाशय का पालन प्रतिवेदन)
3. आपका पत्र क्र. म.चि. / 06 / 2025 / 2098 सागर दिनांक 24.04.2025
4. इस कार्यालय का पत्र क्र. 1468 / कार्य / 2025–26 सागर दिनांक 07.05.2025
5. म.प्र. शासन, वन विभाग का पत्र क्र. एफ–03–11 / 2018 / 10–2 भोपाल दिनांक 14.05.2019

——000——

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र क्र. 1 के माध्यम से पिपरिया जसराज जलाशय योजना अंतर्गत प्रथम चरण सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदाय की गई थी। तदानुसार संदर्भित पत्र क्र. 2 के माध्यम से योजना का पालन प्रतिवेदन प्रेषित किया गया था। चूंकि प्रकरण अन्तर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण की भूमि में आपके द्वारा बदलाव करने के कारण संदर्भित पत्र क्र. 3 के माध्यम से संशोधित मांग पत्र राशि 15227241–/ रू. का जारी किया गया था जिसकी प्रति हेक्टेयर लागत 14.33 लाख है जो कि संदर्भित पत्र क्र. 5 में निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक है। संदर्भित पत्र क्र. 5 के बिन्दु क्र. 1 के अनुसार क्षतिपूर्ति वनीकरण का रकवा 10 से 20 हेक्टे. होने पर अधिकतम व्यय 5.21 लाख रूपये प्रति हेक्टे. निर्धारित की गई। मांग राशि, निर्धारित दरों से अधिक होने के कारण अद्योहस्ताक्षरकर्ता के संदर्भित पत्र क्र. 4 के माध्यम से पुनरीक्षित मांग पत्र जारी करने हेतु लेख किया गया था जो कि आज दिनांक तक अप्राप्त है।

अतः उपरोक्तानुसार पुनरीक्षित मांग राशि संदर्भित पत्र क्र. 5 के अनुरूप प्राप्त होने की प्रत्याशा में योजना का स्टेज–2 अंतिम स्वीकृति हेतु पुनरीक्षित पालन प्रतिवेदन एवं शेष अंतर राशि भुगतान बावत् वचन पत्र तैयार कर आपकी ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है एवं पुनरीक्षित पालन प्रतिवेदन परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया गया है।

सहपत्रः– उपरोक्तानुसार।

(अखिल बिरथरे)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर
जिला– सागर (म.प्र.)

पृ. क्र. 1720-A / कार्य / 2025–26 सागर दिनाँक 28 / 05 / 2025

प्रतिलिपि :–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू–प्रबंध) भोपाल म.प्र. की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक, वन वृत्त सागर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. मुख्य अभियंता, धसान केन कछार सागर जिला सागर (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मंडल सागर जिला सागर (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. अनुविभागीय अधिकारी, बाबिर मटिया शीर्ष कार्य उपसंभाग मालथौन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अखिल बिरथरे)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर
जिला–सागर (म.प्र.)

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक–01 सागर जिला सागर द्वारा जिले के अंतर्गत पिपरिया जसराज जलाशय योजना के निर्माण हेतु 10.62 हे. भूमि उपयोग हेतु की प्रथम चरण की स्वीकृति उपरांत पालन प्रतिवेदन

स.क्र.	अधिरोपित शर्तों का विवरण	शर्तों का पालन प्रतिवेदन रिपोर्ट	रिमार्क	पेज
1	2	3	4	5
A1	The cost of compensatory Afforestation on the CA land (10.62 ha NFL) at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation schem (including the cost of survey, demarcation and creetion of permanent pillaars etc. as required for securing the land against encroachment) shall be deposited in advance with the State Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	शर्त क्रमांक A(1) के पालन में आवेदक संस्था द्वारा 10.62 हे0 वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु राशि 59,52,423/– कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल के पृ0 क्रमांक एफ–3/95/2018/10–11/12/417 भोपाल, दिनांक 02.02.2022 के अनुसार ई–पोर्टल के माध्यम से Online चालान Generate जम कर केम्पा मद में ई–चैक क्रमांक W330557465 दिनांक 24.06.2022 के माध्यम से भुगतान किया जा चुका है एवं वन मण्डल दक्षिण सागर के पत्र क्रमांक /मा.चि./06/2025 सागर दिनांक 24.04.2025 द्वारा अवगत कराया गया कि वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना राशि 1,52,27,241 की तैयार की गई है जिसके पूर्व किए गए भुगतान अनुसार शेष राशि 92,74,818 का मांग पत्र प्रस्तुत किया गया किन्तु उक्त मांग म प्र शासन वन विभाग के पत्र एफ–03/2018/10–2 भोपाल दिनांक 04.05.2019 द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक होना पाया गया जिसके कारण कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 के पत्र क्रमांक 1468/कार्य /2025–26 सागर दिनांक 07.05.2025 द्वारा पुनरीक्षित मांग पत्र प्रेषित करने हेतु निवेदन किया गया है एवं पुनरीक्षित मांग पत्र प्राप्त होने के उपरांत यूजर एजेंसी शेष राशि का भुगतान करने के लिए यूजर एजेंसी वचनबद्ध है।	संलग्न प्रदर्श–1	1-8
A2	Non-forest land shall be transferred and mutated in favour of State Forest Department and documents shall be submitted.	शर्त क्रमांक A(2) के पालन में कलेक्टर सागर के आदेश क्र. 10099/री.कले. /2024 सागर दिनांक 28.11.2024 एवं संशोधित आदेश क्र. 455/रीडर /2024 दिनांक 10.01.2025 द्वारा प्रभावित 10.62 हेक्टेयर वन भूमि के बदले में वनमंडल दक्षिण सागर को ग्राम सरखेड़ा खसरा नं 326 पर गैर वनभूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित की गई है।	संलग्न प्रदर्श–2	9-11
A3	The non -forest land which is transferred and mutated in favour of the State Forest Department for the purpose of compensatory afforestation shall be declared as Reserved Forest/Protected Forest under Indian Forest Act, 1927 or under the relevant Section (s) of the State Forest Act. Copy of notification shall be submitted before Stage-II/Final approval.	शर्त क्रमांक A(3) के पालन में कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विबभग संभाग क्रमांक 1 के पत्र क्रमांक 1154/कार्य / 2025 26 सागर दिनांक 07–04–2025 द्वारा राजस्व विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति , खसरा पी की प्रति एवं राजस्व मानचित्र की प्रति प्रति प्रेषित किया गया है एवं शेष कार्य वन विभाग द्वारा किया जाना है ।	संलग्न प्रदर्श–3	12
A4	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 10.62 Ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Superme Court of Inida dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006, 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 &5-3/2011-FC (Vol-1) Dated 06/01/2022 in this regard.	शर्त क्रमांक A(4) के पालन पालन में आवेदक संस्था द्वारा 10.62 हे0 वन भूमि की वन मंडल अधिकारी दक्षिण सागर की मांग पत्र अनुसार NPV राशि 1,13,57,772/– ई–पोर्टल के माध्यम से Online चालान Generate कर केम्पा मद में ई–चैक क्रमांक W330557465 दिनांक 24.06.2022 के माध्यम से भुगतान की जा चुकी है।	संलग्न प्रदर्श–4	13-14
A5	The State Gove. Shall Charge NPV as per MoEF&CC, New Delhi guideline No. 5-3/2011-FC (Vol-1) Dated 06/01/2022.	शर्त क्रमाक – A(5) का पालन वन विभाग द्वारा किया जावेगा।	संलग्न प्रदर्श–5	15
A6	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund-only through e-portel. (http://parivesh.nic.in).	शर्त क्रमाक – A(6) के पालन में आवेदक संस्था द्वारा राशि 19201720/– कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल के पृ0 क्रमांक एफ–3/95/2018/10–11/12/417 भोपाल, दिनांक 02.02.2022 के अनुसार ई–पोर्टल के माध्यम से Online चालान Generate कर केम्पा मद में ई–चैक क्रमांक W330557465 दिनांक 24.06.2022 के माध्यम से भुगतान की जा चुकी है।	संलग्न प्रदर्श–4	13-14

स.क्र.	अधिरोपित शर्तों का विवरण	शर्तों का पालन प्रतिवेदन रिपोर्ट	रिमार्क	पेज
1	2	3	4	5
A7	The Complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed ceriticate from the concerned District Collector.	शर्त क्रमांक A(7) के पालन में कार्यालय कलेक्टर जिला सागर नंबर 752 सागर दिनांक 27.07.2018 द्वारा एफआरए सार्टिफिकेट जारी किया गया है।	संलग्न प्रदर्श–6	16
A8	The KML files of diverted area and CA areas shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details prior to Stage-II approval.	शर्त क्रमाक – A(8) का पालन वन विभाग द्वारा किया जावेगा।	संलग्न प्रदर्श–7	17
A9	Violation of any of these conditions will amount ot violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as prescribed in Para 1.21 of Chapter 1 of the Handbook of Comprehensive Guidelines of Forest (Comservation) Act, 1980 as issued by this Ministry's letter No.5-2/20017-FC dated 28.03.2019	शर्त क्र. A(9) के पालन करने के लिए यूजर एजेंसी वचनबद्ध है।	संलग्न प्रदर्श–8	18
A10	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/)	शर्त क्र. A(10) के पालन करने के लिए यूजर एजेंसी वचनबद्ध है।	संलग्न प्रदर्श–9	19
B1	Legal status of the fores land shall remain unchanged.	शर्त क्र. B(1) के पालन करने के लिए यूजर एजेंसी वचनबद्ध है।	संलग्न प्रदर्श–10	20
B2	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 10.62 ha (out of 16.10 ha) non-forest land at Khasra No. 1334/1, Village- Madkhera Jagir, Tehsil- Sagar, District - Sagar at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local native species shall be planted and monoculture of any species, sepecially non-native species should be avoided.	शर्त क्र. B(2) के पालन मे लेख है कि प्रभावित वनभूमि के बदले न्यायालय कलेक्टर जिला–सागर के आदेश दिनांक 12.07.2018 के द्वारा ग्राम मढखेरा जागारी पटवारी हल्का नं. 130 खसरा नं. 1334/1 कुल रकवा 16.10 हेक्टेयर मे से 10.62 हेक्टेयर गैर वनभूमि आवंटित की गयी थी। उक्त भूमि अन्य परियोजना में शामिल होने के कारण पुनः वृक्षारोपण हेतु न्यायालय कलेक्टर सागर के राजस्व प्रकरण क्र. 0149/अ–20(3) वर्ष 2023–24 दिनांक 28.11.2024 एवं संशोधित आदेश दिनांक 10.01.2025 के द्वारा गैर वनभूमि ग्राम सरखेड़ा पटवारी हल्का नम्बर 04 तहसील देवरी खसरा नम्बर 326 कुल रकवा 75.51 हेक्टेयर में से 10.62 गैर वनभूमि आवंटित करायी गई एवं शेष कार्य वन विभाग द्वारा किया जाना है	संलग्न प्रदर्श–2	9-11
B3	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Non'ble Supreme Court of Inida on receipt of the report form the Expert Committee, shall also be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency Shall furnish an undertaking to this effect.	शर्त क्र. B(3) के पालन करने के लिए यूजर एजेंसी वचनबद्ध है।	संलग्न प्रदर्श–12	21
B4	The felling of trees shall be restricted to FRL-4 meter only in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	र्त क्र. B(4) के पालन करने के लिए यूजर एजेंसी वचनबद्ध है एवं पेड़ काटने का कार्य वन विभाग द्वारा किया जावेगा ।	संलग्न प्रदर्श–13	22
B5	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	शर्त क्र. B(5) के पालन करने के लिए यूजर एजेंसी वचनबद्ध है।	संलग्न प्रदर्श–14	23
B6	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	शर्त क्र. B(6) के पालन करने के लिए यूजर एजेंसी वचनबद्ध है।	संलग्न प्रदर्श–15	24
B7	No labour camp shall be established on the forest land.	शर्त क्र. B(7) के पालन करने के लिए यूजर एजेंसी वचनबद्ध है।	संलग्न प्रदर्श–16	25
B8	The User Agency shall provide alternate fuels perferably LPG to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas.	शर्त क्र. B(8) के पालन करने के लिए यूजर एजेंसी वचनबद्ध है।	संलग्न प्रदर्श–17	26

स.क्र.	अधिरोपित शर्तों का विवरण	शर्तों का पालन प्रतिवेदन रिपोर्ट	रिमार्क	पेज
1	2	3	4	5
B9	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of the project life.	शर्त क्र. B(9) के पालन करने के लिए यूजर एजेंसी वचनबद्ध है।	संलग्न प्रदर्श–18	27
B10	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	शर्त क्र. B(10) के पालन करने के लिए यूजर एजेंसी वचनबद्ध है।	संलग्न प्रदर्श–19	28
B11	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department, or person without prior approval of Central Government.	शर्त क्र. B(11) के पालन करने के लिए यूजर एजेंसी वचनबद्ध है।	संलग्न प्रदर्श–20	29
B12	Any other condition that the Ministry of Enviroment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.	शर्त क्र. B(12) के पालन करने के लिए यूजर एजेंसी वचनबद्ध है।	संलग्न प्रदर्श–21	30

(राहुल दास गुरू)
अनुविभागीय अधिकारी
बबिर मटिया षीर्ष कार्य उपसंभाग
मालथौन जिला सागर

(अखिल बिरथरे)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर
जिला सागर (म.प्र.)

कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, दक्षिण सागर, वनमण्डल (म.प्र.)

E-mail – dfotssagar@mp.gov.in Phone No. 07582-236215

क्रमांक/मा.चि./06/2022/608 सागर, दिनांक 24-3-22

प्रति,

कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग क्रमांक-01
सागर (म.प्र.)।

विषय :- जिला सागर के अंतर्गत पिपरिया जसराज जलाशय परियोजना के निर्माण हेतु 10.62 हेक्टेयर वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भ :- 1. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्रमांक/6-MPC 041/2020-BHO दिनांक 31.01.2022
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ-3/95/2018/10-11/416 दिनांक 02.02.2022 एवं क्रमांक/एफ-3/95/2018/10-11/12/1068 दिनांक 21.03.2022

--''--

विषयांकित पिपरिया जसराज जलाशय परियोजना में इस वनमण्डल की प्रभावित वन भूमि रकवा 10.62 हेक्टेयर वन कक्ष क्रमांक-आर.एफ. 739 के अंतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्रमांक/6-MPC 041/2020-BHO दिनांक 31.01.2022 से सैद्धांतिक स्वीकृति अधिरोपित शर्तो के अंतर्गत जारी गई है। जारी की गई स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो के पालन हेतु संदर्भ क्रमांक-2 से निर्देश जारी है। निर्देशों के अनुसार शर्तो के पालन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जावें :-

शर्त क्रमांक	रकवा (हे.में)	शर्त का विवरण	निर्धारित राशि	जमा करने का विवरण	रिमार्क
A(1)	10.62	वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की राशि	5952423.00	कैम्पा मद में ऑन लाईन	राशि हस्तांतरण होने का यू.टी.आर. नम्बर व दिनांक के साथ बैंक द्वारा जारी प्रमाणित अभिलेख प्रस्तुत किये जावे।
A(2,3)	10.62	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु हस्तांतरित गैर वन भूमि ग्राम मढखेरा जागीर प.ह. नं. 130 ख.नं. 1334/1 रकवा 10.62 हे. को राजस्व अभिलेखों में नामांतरित बाबत्।	0	-	1. हस्तांतरित भूमि को मौका स्थल पर स्थाई चिन्ह लगाकर सीमांकन कार्य। 2. सीमांकन उपरांत मौका कब्जा वन विभाग को सौंपा जावें। 3. सौंपे गये क्षेत्र को राजस्व अभिलेख में वन भूमि नामांतरण उपरांत अभिलेख एवं निर्धारित प्रारूपों में वचन-पत्र प्रस्तुत किये जावें।
A(4)	10.62	प्रभावित वन भूमि की नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि (प्रचलित कार्य आयोजना अनुसार आवेदित क्षेत्र Eco-class-III है एवं वन क्षेत्र का घनत्व 0.2 है)	10171624.00	कैम्पा मद में ऑन लाईन	राशि हस्तांतरण होने का यू.टी.आर. नम्बर व दिनांक के साथ बैंक द्वारा जारी प्रमाणित अभिलेख प्रस्तुत किये जावे।

शर्त क्रमांक	रकवा (हे.में)	शर्त का विवरण	निर्धारित राशि	जमा करने का विवरण	रिमार्क
A(10)	10.62	पालन प्रतिवेदन ऑन लाईन बेव पोर्टल पर अपलोड करना।	0	-	टेबुलर फार्म में समस्त शर्तो का पालन प्रतिवेदन तैयार कर ऑन लाईन बेव पोर्टल पर अपलोड करे तथा हार्डकापी तीन प्रतियों में अभिलेखों सहित प्रस्तुत करें।
B(3)	10.62	अतिरिक्त एन.पी.व्ही. राशि जमा करने का वचन-पत्र	0	-	प्रभावित वन भूमि की भविष्य में एन.पी. व्ही. की राशि में वृद्धि होती है तो अंतर की राशि वन विभाग में जमा करने का वचन-पत्र प्रस्तुत करें।
		कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान की राशि (CAT Plan) -	3077673.00	कैम्पा मद में ऑन लाईन	राशि हस्तांतरण होने का यू.टी.आर. नम्बर व दिनांक के साथ बैंक द्वारा जारी प्रमाणित अभिलेख प्रस्तुत किये जावे।

अतः उपरोक्तानुसार शर्तो का पालन कर पालन प्रतिवेदन ऑन लाईन बेव पोर्टल पर अपलोड करने के पश्चात् तीन प्रतियों में आवश्यक अभिलेखों के साथ इस कार्यालय को भेजने का कष्ट करें।

वनमण्डल अधिकारी,
दक्षिण सागर, (सा.) वनमण्डल

पृ.क्रमांक/मा.चि./06/2022/ 609 सांगर, दिनांक 24-3-22

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल की ओर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/413 दिनांक 02.03.22 के अनुक्रम में सूचनार्थ सम्प्रेषित।

2. मुख्य वन संरक्षक, सागर वन वृत्त, सागर की ओर उनके पत्र क्रमांक/965 दिनांक 04.03.22 के अनुक्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3. उप वनमण्डल अधिकारी, दक्षिण सागर को सूचनार्थ कर लेख है कि परियोजना में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु हस्तांतरित गैर वन भूमि रकवा 10.62 हेक्टेयर खसरा नम्बर-1334/1 ग्राम मढखेरा जागीर का मौका स्थल निरीक्षण कर पायी गई स्थिति का प्रतिवेदन एवं उक्त भूमि को वन भूमि घोषित कराने बाबत् वन परिक्षेत्र अधिकारी से प्रमाण-पत्र व जानकारी प्राप्त कर परीक्षण उपरांत इस कार्यालय को 07 दिवस के भीतर भेजें।

4. वन परिक्षेत्र अधिकारी, सागर की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि हस्तांतरित गैर वन भूमि का स्थाई चिन्ह लगाकर मौका सीमांकन उपरांत वन विभाग के अधिपत्य में भूमि प्राप्त की जावे। स्थल पर प्राप्त गैर वन भूमि को वन भूमि घोषित कराने बाबत् क्षेत्र की सीमांकन रिपोर्ट जी.पी.एस. रीडिंग सहित, स्थल दर्शित सत्यापित वन मानचित्र एवं संलग्न निर्धारित प्रारूप में प्रमाण-पत्र इस कार्यालय को उप वनमण्डल अधिकारी के माध्यम से 03 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

वनमण्डल अधिकारी,
दक्षिण सागर, (सा.) वनमण्डल

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 24-06-2022

Agency Name.	WATER RESOURCES DIVISION NO ONE SAGAR
Application No.	5735140546
State Code.	MP
Address.	Water resources division no 1 sagar (M.P)Sagar
Amount(in Rs)	19201720/-

Amount in Words :One Crore Ninety-Two Lakh One Thousand Seven Hundred and Twenty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	MADHYA PRADESH CAMPA
Pay to Account No.	CAMPAMP5735140546
Bank Name & Address:	Union Bank of India Branch Address : 52, Sunder Nagar New Delhi, Pin 110003
IFSC Code:	UBIN0996335

- **This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only**

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 24-06-2022

Agency Name.	WATER RESOURCES DIVISION NO ONE SAGAR
Application No.	5735140546
State Code.	MP
Address:	Water resources division no 1 sagar (M.P) Sagar
Amount(in Rs)	19201720/-

Amount in Words :One Crore Ninety-Two Lakh One Thousand Seven Hundred and Twenty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	MADHYA PRADESH CAMPA
Pay to Account No.	CAMPAMP5735140546
Bank Name & Address:	Union Bank of India Branch Address : 52, Sunder Nagar New Delhi, Pin 110003
IFSC Code:	UBIN0996335

- **This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only**

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: ubicampa@unionbankofindia.com

E-Payment Status

Year(YYYY):: 2022 , Month(MM):: 06 , Account No:: 150765735140546 , IFSC CODE: UBIN0996335 , Logged In User: NA , Server Name: MPTreasury3 , Report Generated Time: 28/05/2025 17:09:17

DDO	Voucher Date	Cheque No	Amount	Party Name	UTR No	Status
3303102002 - E.E.WATER RESOURCES DIV.NO.1 SAGAR	24/06/2022	W330557465	19201720	MADHYA PRADESH CAMPA	SBIN322180660129	Success

कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, दक्षिण सागर, वनमण्डल (म.प्र.)

E-mail – dfotssagar@mp.gov.in Phone No. 07582-236215

क्रमांक/मा.चि./06/2025/2098 सागर, दिनांक 24-4-25

प्रति,

कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग क्रमांक-1
सागर (म.प्र.)।

विषय :- जिला सागर अंतर्गत पिपरिया जसराज जलाशय सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 10.62 हेक्टेयर वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत्। Online Proposal No. **FP/MP/IRRIG/35140/2018**

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक/1345/कार्य/2023-24 दिनांक 15.04.2024

--''--

उपरोक्त विषय में लेख है कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत दक्षिण सागर, वनमण्डल के वन परिक्षेत्र सागर के अंतर्गत पिपरिया जसराज जलाशय सिंचाई परियोजना निर्माण से प्रभावित वन कक्ष क्रमांक-RF-739 रकवा 10.62 हेक्टेयर वन भूमि आवेदक संस्थान को उपयोग पर देने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के पत्र क्रमांक/6-MPC041/2020-BHO दिनांक 31.01.2022 द्वारा सशर्त सैंद्धातिक स्वीकृति प्रदान की गई है। उपरोक्त प्रभावित वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि निम्नानुसार हस्तांतरित करायी गई थी :-

तालिका क्रमांक-01

क्र.	न्यायालय कलेक्टर सागर का आदेश क्रमांक एवं दिनांक	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकवा (हे.में)	तकनीकी स्वीकृति दिनांक	तकनीकी स्वीकृति की राशि	आपके विभाग द्वारा जमा की गई राशि
1	राजस्व प्रकरण क्रमांक-23/ अ-19(3) वर्ष 17-18 आदेश दिनांक 12.07.2018	मड़खेरा जागीर	1334/1	10.61	11-08-2020	5952423	5952423 वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु

उपरोक्त तालिका अनुसार उक्त हस्तांतरित गैर वनभूमि अन्य परियोजना में आवंटित हो जाने के कारण आपके द्वारा न्यायालय कलेक्टर, जिला सागर के राजस्व प्रकरण क्रमांक-0149/अ-20(3) वर्ष 2023-24 आदेश दिनांक 28.11.2024 मौजा-सरखेड़ा, तहसील देवरी, पटवारी हल्का नम्बर-07, खसरा नम्बर-326 कुल रकवा 75.51 हेक्टेयर में से 10.62 हेक्टेयर आवंटित कराई गई है।

उपरोक्त प्रकरण में प्रभावित वनभूमि के एवज में तालिका क्रमांक-01 के अनुसार प्राप्त गैर वनभूमि, तकनीकी स्वीकृति एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि का संशोधित विवरण निम्नानुसार है :-

तालिका क्रमांक-02

क्र.	न्यायालय कलेक्टर सागर का आदेश क्रमांक एवं दिनांक	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकवा (हे.में)	तकनीकी स्वीकृति दिनांक	तकनीकी स्वीकृति की राशि
1	राजस्व प्रकरण क्रमांक-0149/अ-20(3) वर्ष 2023-24 आदेश दिनांक 28.11.2024	सरखेड़ा	326	10.62	15-04-2025	15227241

अतः उक्त योजना में प्रभावित वनभूमि 10.62 हेक्टेयर के एजव में प्राप्त गैर वनभूमियों की वैकल्पिक वृक्षारोपण की कुल राशि रु. 15227241 होती है। पूर्व में तालिका क्रमांक-01 के अनुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण की कुल राशि-5952423 आपके द्वारा कैम्पा मद में जमा करा दी गई है। अतः अंतर की राशि रु. (15227241-5952423) Rs. 9274818 राशि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली की ई-पोर्टल के माध्यम से मध्यप्रदेश के कैम्पा मद में शीघ्र जमा करें, एवं प्रमाणीकरण हेतु बैंक स्टेटमेंट एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करें।

अन्य समस्त अधिरोपित शर्तो का टेबुलर फार्म में पालन प्रतिवेदन वेबपोर्टल पर अपलोड करते हुए एक प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। साथ ही भारत सरकार/मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग द्वारा उपरोक्त स्वीकृति की अधिरोपित शर्तो के अतिरिक्त भविष्य में कोई अन्य शर्त अधिरोपित की जाती है, तो वह मान्य होगी। इस आशय का वचन-पत्र इस कार्यालय को प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करें।

वनमण्डल अधिकारी,
दक्षिण सागर, (सा.) वनमण्डल

पृ.क्रमांक/मा.चि./06/2025/2099 सागर, दिनांक 28-4-25

प्रतिलिपि :-

1- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध) वन भवन तुलसीनगर मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2- मुख्य वन संरक्षक, सागर वन वृत्त, सागर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3- उप वनमण्डल अधिकारी, दक्षिण सागर/देवरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4- वन परिक्षेत्र अधिकारी, सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। बिना अनुमति के वनक्षेत्र में किसी भी प्रकार का कार्य न करने दिया जावें।

वनमण्डल अधिकारी,
दक्षिण सागर, (सा.) वनमण्डल

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक . एक सागर (म.प्र.)
☎ : 07582-285247 (सिविल कोर्ट के पास) सागर (म.प्र.) पिन कोड - 470001
E-mail - eewrdno1sgr@gmail.com,

पत्र क्र. 1468 / कार्य / 2025–26 सागर दिनाँक 07 / 05 / 2025

प्रति,

वन मंडल अधिकारी
दक्षिण वन मण्डल सागर
जिला सागर (म.प्र.)

विषय :– जिला सागर अंतर्गत पिपरिया जसराज जलाशय सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 10.62 हेक्टे. वन भूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बावत्।
(Online proposal No FP/MP/IRRIG/35140/2018)

संदर्भ :–
1. आपका पत्र क्रमांक / मा.चि. / 06 / 2025 / 2098 सागर दिनांक 24.04.2025
2. म.प्र. शासन वन विभाग का पत्र क्र. एफ–03 / 2018 / 10–2 भोपाल दिनांक 04.05.2019

—–000—–

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में लेख है कि आपके द्वारा पिपरिया जसराज जलाशय के डूब क्षेत्र में प्रभावित वन भूमि के बदले हस्तारित गैर वन भूमि ग्राम सरखेडा तहसील देवरी खसरा क्र. 326 रकवा 10.62 हेक्टे. में वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना राशि 1,52,27,241 की तैयार की गई है जिसकी प्रति हेक्टेयर लागत 14.33 लाख है जो कि शासन द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक है। संदर्भित पत्र क्र. 2 में म.प्र. शासन वन विभाग के बिन्दु क्र. 1 द्वारा क्षतिपूर्ति वनीकरण का रकवा 10 से 20 हेक्टेयर तक होने पर अधिकतम व्यय 5.21 लाख प्रति हेक्टेयर निर्धारित की गई है।

अतः अनुरोध है कि उक्त वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना पर पुर्नविचार कर, पुर्नरीक्षित मांग पत्र प्रेषित करने का निवेदन है।

सहपत्रः– संदर्भित पत्र क्र. 2।

(अखिल बिरथरे)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर
जिला–सागर (म.प्र.)

पृ. क्र. 1468-A / कार्य / 2024–25 सागर दिनाँक 07 / 05 / 2024

प्रतिलिपि :–
1. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।
3. मुख्य अभियंता, धसांन केन कछार सागर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक सागर वृत्त सागर की ओर संदर्भित पत्र क्र. / व्यय / केम्पा–2025 / 45 सागर दिनांक 15.04.2025 के तारतम्य में, संदर्भित पत्र क्र 2 के अनुरूप वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना का पुर्नरीक्षण करने का निवेदन है।
5. अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मण्डल सागर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
6. अनुविभागीय अधिकारी, बाबिर मटिया शीर्ष कार्य उपसंभाग मालथौन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(अखिल बिरथरे)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर
जिला–सागर (म.प्र.)

(8)

Annexure-I

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, WATER RESOURCES DIVISION NO. 1 SAGAR (M.P.)

Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail id - eewrdno.1 sgr@gmail.com

UNDERTAKING

User agency undertakes that user agency will pay difference amount of compensatory afforestation.

(R.D.Guru)
Sub Divisional Officer
Babir Matiya H/W Sub Dn.
Malthon Dist. Sagar

(Akhil Birthare)
Executive Engineer
Water Resources Division
No.1 Sagar

☎: (कार्या.) 221900, (निवास) 222622
फेक्स: 07582-222070, 224543
ई-मेल: dmsagar@nic.in

121
15/1/25

न्यायालय कलेक्टर जिला सागर (मध्यप्रदेश)

प्र.क्र. 0149/अ-20 (3)/2023-24,
मौजा-सरखेड़ा प.ह.नं. 07,
तहसील देवरी जिला सागर

1. कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग क्रमांक-01,
सागर (म.प्र.) ..... आवेदक

विरूद्ध

म.प्र.शासन ..... अनावेदक

-: संशोधित आदेश :-

(पारित दिनांक 10../01../2024)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्र.क्र. 0149/अ-20 (3)/2023-24 आदेश दिनाँक 28.11.2024 द्वारा ग्राम सरखेड़ा तहसील देवरी प.ह.नं. 07 स्थित भूमि ख.नं. 326 रकबा 75.510 हे. में से 10.26 हे. भूमि पिपरिया जसराज जलाशय के वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु, म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 (यथा संशोधित 2018) की धारा-237 (3) के तहत् मद परिवर्तन करते हुए-म.प्र. नजूल निर्वर्तन निर्देश 2020 लागू दिनाँक 24.09.2020 की कंडिका 17 अनुसार, वन विभाग म.प्र.शासन भोपाल को हस्तांतरित करने का आदेश पारित किया गया है।

संज्ञान में आया है कि-आदेश दिनाँक 28.11.2024 में लिपकीय त्रुटिवश वादग्रस्त भूमि स्थित ग्राम सरखेड़ा तहसील देवरी प.ह.नं. 07 भूमि ख.नं. 326 कुल रकबा 75.51 हे. में से 10.26 हे. लेख हुआ है जो कि सही हस्तांतरित रकबा 10.62 हे. है।

अतः पूर्व में पारित आदेश दिनाँक 28.11.2024 के पृष्ठ क्रमांक-02 में वर्णित सारणी के कॉलम क्रमांक 06 में लेख हस्तांतरित रकबा 10.26 हे. के स्थान पर 10.62 हे. प्रतिस्थापित करने का संशोधित आदेश जारी किया जाता है।

यह संशोधित आदेश मूल आदेश का अंश होगा तथा शेष मूल आदेश दिनाँक 28.11.2024 यथावत् रहेगा। संशोधित आदेश पारित एवं उद्घोषित।

कलेक्टर,
जिला–सागर (म.प्र.)

पृ.क्र./...455.../रीडर/2024
सागर, दिनाँक ...10/01/2025

प्रतिलिपि :–

1– वन विभाग म.प्र.शासन भोपाल।
2– नजूल अधिकारी सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3– वरिष्ठ जिला पंजीयक सागर की ओर सूचनार्थ।
4– अनुविभागीय अधिकारी (रा.) देवरी जिला–सागर को मूल प्रकरण सहित प्रेषित कर आदेशानुसार पटवारी अभिलेख में दुरूस्ती कराये जाने एवं हस्तांतरित भूमि का अधीपत्य दिलाये जाने तथा संशोधित अभिलेख की प्रमाणित प्रति तथा अधीपत्य दिलाये जाने का पंचनामा सहित प्रकरण अतिशीघ्र इस न्यायालय को वापिस भेजने हेतु।
5– अधीक्षक भू–अभिलेख जिला सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6– नायब तहसीलदार गौरझामर तहसील देवरी जिला–सागर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7– नगर तथा ग्राम निवेश सागर को सूचनार्थ।
8– कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, क्रमांक–01 सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर
जिला–सागर (म.प्र.)

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग क्र.1, सागर (म.प्र.)
पृ.क्र. 186 /भाग/पिपरिया जसराज जला./वैकल्पिक वृक्षारोपण/सागर दिनांक 15-1-25
प्रतिलिपि :- अनु. अधि. जल संसाधन उपसंभाग बांदा/सागर की ओर 148 आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
कार्यपालन यंत्री

Order
15/1/25

न्यायालय कलेक्टर सागर, जिला सागर (म.प्र.)

रा.प्र.क्रं.– 0149/अ–20(3)/वर्ष 2023–24
मौजा– सरखेड़ा प.ह.नं. 07
तहसील देवरी जिला सागर (म.प्र.)

कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग क्रमांक–1
सागर (म.प्र.)

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन

!! आदेश !!

(पारित दिनांक 28/11 /2024)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक–1 सागर (म.प्र.) द्वारा ग्राम सरखेड़ा तहसील देवरी जिला सागर स्थित भूमि प.ह.नं. 07 खसरा नंबर 326 रकवा 75.510 हे. में से 10.62 हे. भूमि पिपरिया जसराज जलाशय के वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन मण्डल अधिकारी दक्षिण सागर को हस्तांतरित किये जाने बाबत आवेदन पत्र ऑनलाईन दस्तावेजो सहित प्रस्तुत किया गया।

प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर जांच प्रतिवेदन हेतु अनुविभागीय अधिकारी देवरी (राजस्व) को प्रेषित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी देवरी द्वारा नायब तहसीलदार, मण्डल गौरझामर से जांच प्रतिवेदन लिया गया।

नायब तहसीलदार, मण्डल गौरझामर द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर इश्तहार का प्रकाशन ग्राम में एवं दैनिक समाचार पत्र में कराया गया नियत समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। हल्का पटवारी से प्रतिवेदन लिया गया। प्रतिवेदन अनुसार ग्राम सरखेड़ा स्थित खसरा नंबर 326 रकवा 75.51 हेक्टेयर भूमि मिसल बंदोबस्त अनुसार पहाड़/चट्टान के रूप में दर्ज है उक्त भूमि में से रकवा 10.26 हेक्टेयर भूमि वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराई जा सकती है जिसमें ग्राम वासियों एवं पंचायत की तरफ से सहमति है। वर्तमान में उक्त भूमि का अधिकांश भाग रिक्त एवं अनुपजाऊ है एवं इसका कुछ भाग लगभग 2.00 हेक्टेयर का उपयोग खेलकूद गतिविधियों हेतु किया जाता है। पिपरिया जसराज जलाशय बांध के डूब क्षेत्र में प्रभावित वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु खसरा नंबर 326 रकवा 75.51 हेक्टेयर में से रकवा 10.26 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को आवंटित किया जाना उचित प्रतीत होता है प्रतिवेदित किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी द्वारा प्रारूप–2 में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रतिवेदन अनुसार मौजा सरखेड़ा तहसील देवरी जिला सागर स्थित भूमि प.ह.नं. 07 राजस्व निरीक्षक मण्डल गौरझामर खसरा नंबर 326 रकवा 75.51 हे. मद (पहाड़) में से 10.26 हे. भूमि मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में आवंटन की जाना है। उक्त संबंध में सार्वजनिक उद्घोषणा का प्रकाशन ग्राम पंचायत एवं दैनिक समाचार पत्र में कराया गया नियत समयावधि में कोई आक्षेप/आपत्तियां प्राप्त नही। स्थानीय निकाय ग्राम पंचायत सरखेड़ा जनपद पंचायत देवरी द्वारा आवेदित भूमि आवंटन की अनुशंसा की गई। आवेदित भूमि अतिक्रमण मुक्त व आवंटन हेतु उपयुक्त है प्रस्तावित रकवे को नक्शा में लाल स्याही से आच्छादित किया गया है।

P.T.O.

रा.प्र.क्रं.– 0149/अ–20(3)/वर्ष 2023–24

ग्राम का चरनोई रकवा 16.90 हे. है, खाते के रकवा के मान से 2% प्रतिशत चरनोई रकवा 8.00 हे. है, आवेदित भूमि आवंटित उपरांत ग्राम का चरनोई का रकवा 2% प्रतिशत से 8.90 हे. अधिक शेष रहेगा। आवेदित भूमि ग्राम सरखेड़ा स्थित भूमि खसरा नंबर 326 रकवा 75.51 हेक्टेयर (मद–पहाड़) शासकीय मध्यप्रदेश शासन का अंश भाग रकवा 10.62 हेक्टेयर भूमि को म.प्र. नजूल निर्वर्तन निर्देश 2020 के तहत कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग के प्रस्तुत आवेदन अनुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु म.प्र. शासन वन विभाग को हस्तांरण किये जाने की अनुशंसा सहित प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया।

जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 21.10.2024 को आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से मौजा सरखेड़ा प.ह.नं. 07 राजस्व निरीक्षक मण्डल गौरझामर तहसील देवरी स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 326 रकवा 75.51 हेक्टेयर (मद–पहाड़) में से रकवा 10.62 हेक्टेयर भूमि **''म.प्र नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 लागू दिनांक 24.09.2020 कंडिका 17 के अनुसार राज्य शासन के किसी विभाग को हस्तांतरित की गई नजूल भूमि के संबंध में कोई कर निर्धारण नहीं होगा''** पिपरिया जसराज जलाशय (बांध) के डूब क्षेत्र में आने वाली वन भूमि के बदले में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग, मध्यप्रदेश शासन भोपाल को हस्तांतरित किये जाने का निर्णय लिया गया। नजूल अधिकारी सागर द्वारा उपरोक्त भूमि आवंटन किये जाने की अनुशंसा सहित प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया।

अतः नायब तहसीलदार गौरझामर,/अनुविभागीय अधिकारी देवरी, नजूल अधिकारी सागर के प्रस्ताव एवं जिला नजूल निर्वर्तन समिति के निर्णय के आधार पर निम्नानुसार भूमि :–

क्रं	ग्राम/तहसील का नाम	प.ह.नं.	ख0नं0	कुल रकवा (हे.में)	हस्तांतरित रकवा (हे.में)	मद	विभाग का नाम
1	सरखेड़ा/देवरी	07	326	75.51	10.26	शासकीय पहाड़	वन विभाग, मध्यप्रदेश शासन भोपाल
कुल योग–					10.26		

म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959 (यथा संशोधित अधिनियम 2018) की धारा 237(3) के तहत मद परिवर्तन करते हुए **''म.प्र नजूल निर्वर्तन निर्देश 2020 लागू दिनांक 24.09.2020 कंडिका 17 के अनुसार – राज्य शासन के किसी विभाग को हस्तांतरित की गई नजूल भूमि के संबंध में कोई कर निर्धारण नही होगा''** वन विभाग, मध्यप्रदेश शासन भोपाल को हस्तांतरित की जाती है। उक्त भूमि के हस्तांतरण से ग्राम का आम निस्तार का रकवा अप्रभावित रहेगा। हस्तांतरित भूमि का नियत प्रयोजन में उपयोग न होने पर पूर्ण अथवा आंशिक भूमि वापिस ली जा सकेगी।

(संदीप जी.आर.)
कलेक्टर
जिला–सागर

पृ0क्रं0/ 10099 /री0कले0/2024 सागर दिनांक 28/11 /2024

प्रतिलिपिः–

1. वन विभाग, मध्यप्रदेश शासन भोपाल को सूचनार्थ।

P.T.O.

रा.प्र.क्रं.– 0149/अ–20(3)/वर्ष 2023–24

2. नजूल अधिकारी सागर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. वरिष्ठ जिला पंजीयक सागर, जिला सागर को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी जिला सागर को मूल प्रकरण सहित प्रेषित आदेशानुसार पटवारी अभिलेख में दुरूस्ती कराये जाने एवं हस्तांतरित भूमि का अधीपत्य दिलाये जाने तथा संशोधित अभिलेख की प्रमाणित प्रति तथा अधीपत्य दिलाये जाने का पंचनामा सहित प्रकरण अतिशीघ्र इस न्यायालय को वापिस भेजने हेतु।
5. अधीक्षक भू–अभिलेख जिला सागर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. नायब तहसीलदार, गौरझामर तहसील देवरी जिला सागर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. नगर तथा ग्राम निवेश सागर, जिला सागर को सूचनार्थ।
8. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक–1 सागर (म.प्र.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर
जिला–सागर

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सागर

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक . एक सागर (म.प्र.)

☎ : 07582-285247 (सिविल कोर्ट के पास) सागर (म.प्र.) पिन कोड - 470001
E-mail - eewrdno1sgr@gmail.com,

पत्र क्र. 1154 / कार्य / 2025–26 सागर दिनाँक 07 / 04 / 2025

प्रति,

वन मंडल अधिकारी
दक्षिण वन मण्डल सागर
जिला सागर (म.प्र.)

विषय :– सागर जिले के अंतर्गत पिपरिया जसराज लघु परियोजना निर्माण हेतु 10.62 हे. वन भूमि के संबंध में।

संदर्भ :–
1. आपका पत्र क्रमांक / मा.चि. / 06 / 2025 / 800 सागर, दिनांक 31.01.2025
2. इस कार्यालय का पृष्ठा. क्र. 422 / कार्य / पिपरिया जसराज / वन भूमि / दिनांक 10.02.2025
3. अनुविभागीय अधिकारी बाबिर मटिया शीर्ष कार्य उपसंभाग मालथौन का पत्र क्र. 128 / अनु.लि. / 2025–26 मालथौन दिनांक 04.04.2025

——000——

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र क्रम में लेख है कि पिपरिया जसराज जलाशय परियोजना निर्माण हेतु रकवा 10.62 हेक्टेयर की भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के पत्र क्र. 6-MPC041/2020-BHO दिनांक 31.01.2022 से अधिरोपित शर्तों के अन्तर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति जारी है। प्रभावित वनभूमि के बदले न्यायालय कलेक्टर जिला–सागर के आदेश दिनांक 12.07.2018 के द्वारा ग्राम मढखेरा जागारी पटवारी हल्का नं. 130 खसरा नं. 1334 / 1 कुल रकवा 16.10 हेक्टेयर में से 10.62 हेक्टेयर गैर वनभूमि आवंटित की गयी थी। उक्त भूमि अन्य परियोजना में शामिल होने के कारण पुनः वृक्षारोपण हेतु न्यायालय कलेक्टर सागर के राजस्व प्रकरण क्र. 0149 / 1–20 (3) वर्ष 2023–24 दिनांक 28.11.2024 एवं संशोधित आदेश दिनांक 10.01.2025 के द्वारा गैर वनभूमि ग्राम सरखेड़ा पटवारी हल्का नम्बर 04 तहसील देवरी खसरा नम्बर 326 कुल रकवा 75.51 हेक्टेयर में से 10.62 गैर वनभूमि आवंटित करायी गयी जिसके संबंध में बिन्दुवार जानकारी उपलब्ध कराने का आपके द्वारा लेख किया गया था।

1. गैर वनभूमि का स्थायी सीमांकन कराया जाकर सीमांकित करवा 10.62 हेक्टेयर का राजस्व विभाग से इस विभाग की उपस्थिति में वन परिक्षेत्र गौरझामर को अधिपत्य सौपने का प्रमाण संलग्न कर प्रेषित है।
2. सौपे गये क्षेत्र का मौका पंचनामा, सीमांकन क्षेत्र का मानचित्र kml shape file- georeferenced map एवं टोपोशीट सहित आपकी ओर प्रेषित है।
3. राजस्व प्रमाण–पत्र एवं खसरा खतौनी की प्रति।
4. खसरा–पी की मानचित्र की प्रति।
5. स्केल 1:12500 का वनखण्ड मानचित्र जी.पी.एस. रीडिंग सहित 04 प्रतियों में प्रेषित है।

अतः चाही गयी बिन्दुवार जानकारी आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सहपत्रः– उपरोक्तानुसार।

(अखिल बिरथरे)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर
जिला–सागर (म.प्र.)

पृ. क्र. 1154A / कार्य / 2025–26 सागर दिनाँक 07 / 04 / 2025

प्रतिलिपि :–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी वन विभाग तुलसी नगर भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक सागर वृत्त सागर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. अनुविभागीय अधिकारी, बाबिर मटिया शीर्ष कार्य उपसंभाग मालथौन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(अखिल बिरथरे)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर
जिला–सागर (म.प्र.)

C:\Users\hp\Desktop\Letter 2024-25\All letter 2024-25.doc

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 24-06-2022

Agency Name.	**WATER RESOURCES DIVISION NO ONE SAGAR**
Application No.	**5735140546**
State Code.	**MP**
Address.	**Water resources division no 1 sagar (M.P)Sagar**
Amount(in Rs)	**19201720/-**

Amount in Words :One Crore Ninety-Two Lakh One Thousand Seven Hundred and Twenty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	**MADHYA PRADESH CAMPA**
Pay to Account No.	**CAMPAMP5735140546**
Bank Name & Address:	**Union Bank of India Branch Address : 52, Sunder Nagar New Delhi, Pin 110003**
IFSC Code:	**UBIN0996335**

- **This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only**

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 24-06-2022

Agency Name.	**WATER RESOURCES DIVISION NO ONE SAGAR**
Application No.	**5735140546**
State Code.	**MP**
Address:	**Water resources division no 1 sagar (M.P) Sagar**
Amount(in Rs)	**19201720/-**

Amount in Words :One Crore Ninety-Two Lakh One Thousand Seven Hundred and Twenty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	**MADHYA PRADESH CAMPA**
Pay to Account No.	**CAMPAMP5735140546**
Bank Name & Address:	**Union Bank of India Branch Address : 52, Sunder Nagar New Delhi, Pin 110003**
IFSC Code:	**UBIN0996335**

- **This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only**

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: ubicampa@unionbankofindia.com

E-Payment Status

Year(YYYY):: 2022 , Month(MM):: 06 , Account No:: 150765735140546 , IFSC CODE: UBIN0996335 , Logged In User: NA , Server Name: MPTreasury3 , Report Generated Time: 28/05/2025 17:09:17

DDO	Voucher Date	Cheque No	Amount	Party Name	UTR No	Status
3303102002 - E.E.WATER RESOURCES DIV.NO.1 SAGAR	24/06/2022	W330557465	19201720	MADHYA PRADESH CAMPA	SBIN322180660129	Success

15

Annexure-V

UNDERTAKING

State forest department undertakes that the state gove. shall charge npv as per moef&cc, new delhi guideline no. 5-3/2011-fc (vol-1) dated 06/01/2022.

Divisional Forest Officer
South Forest Division
Sagar District – Sagar (M.P.)

Annexure-II

FORM-II
(for projects other than linear projects)
Government of Madhya Pradesh
Office of the District Collector Sagar

No......752/Sagar

Dated 23.7.18

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act. 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **10.62 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **WRD Div. No. 1 Sagar** (name of user agency) for **Construction of Pipariya Jasraj Tank** (purpose for diversion of forest land) in **Sagar** District falls within jurisdiction of **Jasraj** village(s) in **Sagar** tehsils

It is further certified that :

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **10.62 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s); Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District level Committee are enclosed as annexure- **I** to annexure- 8

(b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular / local language) have been placed before each concerned Gram sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;

(c) The each concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities / processes under the FRA have been carried out, and the they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Gram Sabha of **Jasraj** villages (s) in enclosed as annexure- **I** to annexure-6

(d) The discussion and decision of such proposal had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Encl.: As above.

Office of The Collector And District Magistrate • SAGAR

(Alok Kumar Singh)
Collector
Sagar (M.P.)

COLLECTOR
SAGAR

Annexure-VI

UNDERTAKING

State forest department undertakes that the kml files of diverted area and ca areas shall be uploaded on the e-green watch portal with all requisite details prior to stage-ii approval.

Divisional Forest Officer
South Forest Division
Sagar District – Sagar (M.P.)

Annexure-VII

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, WATER RESOURCES DIVISION NO. 1 SAGAR (M.P.)

Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail id - eewrdno.1 sgr@gmail.com

UNDERTAKING

User agency undertakes that violation of any of these conditions will amount ot violation of forest (conservation) act, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.21 of chapter 1 of the handbook of comprehensive guidelines of forest (comservation) act, 1980 as issued by this ministry's letter no.5-2/20017-fc dated 28.03.2019

(R.D.Guru)
Sub Divisional Officer
Babir Matiya H/W Sub Dn.
Malthon Dist. Sagar

(Akhil Birthare)
Executive Engineer
Water Resources Division
No.1 Sagar

Annexure-VIII

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, WATER RESOURCES DIVISION NO. 1 SAGAR (M.P.)

Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail id - eewrdno.1 sgr@gmail.com

UNDERTAKING

User agency undertakes that the compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/)

(R.D.Guru)
Sub Divisional Officer
Babir Matiya H/W Sub Dn.
Malthon Dist. Sagar

(Akhil Birthare)
Executive Engineer
Water Resources Division
No.1 Sagar

Annexure-IX

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, WATER RESOURCES DIVISION NO. 1 SAGAR (M.P.)

Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail id - eewrdno.1 sgr@gmail.com

UNDERTAKING

User agency undertakes that legal status of the fores land shall remain unchanged.

(R.D.Guru)
Sub Divisional Officer
Babir Matiya H/W Sub Dn.
Malthon Dist. Sagar

(Akhil Birthare)
Executive Engineer
Water Resources Division
No.1 Sagar

Annexure-X

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, WATER RESOURCES DIVISION NO. 1 SAGAR (M.P.)

Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail id - eewrdno.1 sgr@gmail.com

UNDERTAKING

User agency undertakes that additional amount of the npv of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the non'ble supreme court of inida on receipt of the report form the expert committee, shall also be charged by the state government from the user agency. the user agency shall furnish an undertaking to this effect.

(R.D.Guru)
Sub Divisional Officer
Babir Matiya H/W Sub Dn.
Malthon Dist. Sagar

(Akhil Birthare)
Executive Engineer
Water Resources Division
No.1 Sagar

22

Annexure-XI

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, WATER RESOURCES DIVISION NO. 1 SAGAR (M.P.)

Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail id - eewrdno.1 sgr@gmail.com

UNDERTAKING

User agency undertakes that the felling of trees shall be restricted to frl-4 meter only in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the state forest department and the cost of felling of trees shall be deposited by the user agency with the state forest department.

(R.D.Guru)
Sub Divisional Officer
Babir Matiya H/W Sub Dn.
Malthon Dist. Sagar

(Akhil Birthare)
Executive Engineer
Water Resources Division
No.1 Sagar

(22)

Annexure-XII

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, WATER RESOURCES DIVISION NO. 1 SAGAR (M.P.)

Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail id - eewrdno.1 sgr@gmail.com

UNDERTAKING

User agency undertakes that the boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned divisional forest officer.

(R.D.Guru)
Sub Divisional Officer
Babir Matiya H/W Sub Dn.
Malthon Dist. Sagar

(Akhil Birthare)
Executive Engineer
Water Resources Division
No.1 Sagar

(234)

Annexure-XIII

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, WATER RESOURCES DIVISION NO. 1 SAGAR (M.P.)

Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail id - eewrdno.1 sgr@gmail.com

UNDERTAKING

User Agency undertakes that the layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of central government.

(Akhil Birthare)
Executive Engineer
Water Resources Division
No.1 Sagar

Annexure-XIV

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, WATER RESOURCES DIVISION NO. 1 SAGAR (M.P.)

Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail id - eewrdno.1 sgr@gmail.com

UNDERTAKING

User agency undertakes that no labour camp shall be established on the forest land.

(R.D.Guru)
Sub Divisional Officer
Babir Matiya H/W Sub Dn.
Malthon Dist. Sagar

(Akhil Birthare)
Executive Engineer
Water Resources Division
No.1 Sagar

Annexure-XV

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, WATER RESOURCES DIVISION NO. 1 SAGAR (M.P.)

Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail id - eewrdno.1 sgr@gmail.com

UNDERTAKING

User agency undertakes that the user agency shall provide alternate fuels perferably lpg to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas.

(R.D.Guru)
Sub Divisional Officer
Babir Matiya H/W Sub Dn.
Malthon Dist. Sagar

(Akhil Birthare)
Executive Engineer
Water Resources Division
No.1 Sagar

Annexure-XVI

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, WATER RESOURCES DIVISION NO. 1 SAGAR (M.P.)

Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail id - eewrdno.1 sgr@gmail.com

UNDERTAKING

User agency undertakes that the period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of the project life.

(R.D.Guru)
Sub Divisional Officer
Babir Matiya H/W Sub Dn.
Malthon Dist. Sagar

(Akhil Birthare)
Executive Engineer
Water Resources Division
No.1 Sagar

Annexure-XVII

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, WATER RESOURCES DIVISION NO. 1 SAGAR (M.P.)

Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail id - eewrdno.1 sgr@gmail.com

UNDERTAKING

User agency undertakes that the forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.

(R.D.Guru)
Sub Divisional Officer
Babir Matiya H/W Sub Dn.
Malthon Dist. Sagar

(Akhil Birthare)
Executive Engineer
Water Resources Division
No.1 Sagar

29

Annexure-XVIII

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, WATER RESOURCES DIVISION NO. 1 SAGAR (M.P.)

Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail id - eewrdno.1 sgr@gmail.com

UNDERTAKING

User agency undertakes that the forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department, or person without prior approval of central government.

(R.D.Guru)
Sub Divisional Officer
Babir Matiya H/W Sub Dn.
Malthon Dist. Sagar

(Akhil Birthare)
Executive Engineer
Water Resources Division
No.1 Sagar

290

Annexure-XIX

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, WATER RESOURCES DIVISION NO. 1 SAGAR (M.P.)

Near Civil Court Sagar Ph. 07582-223809 E-mail id - eewrdno.1 sgr@gmail.com

UNDERTAKING

User agency undertakes that any other condition that the ministry of enviroment, forest & climate change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.

(R.D.Guru)
Sub Divisional Officer
Babir Matiya H/W Sub Dn.
Malthon Dist. Sagar

(Akhil Birthare)
Executive Engineer
Water Resources Division
No.1 Sagar